न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 37/2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये सुरेश
विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
प्रभुराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट,
निवासी डाबलीसरा, चवा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 28.03.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर के पत्र क्रमांक 1244 दिनांक 28.03.2023 द्वारा सूचित किया कि श्री प्रभुराम पुत्र रूपाराम जाट को आपरेशन धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना बालोतरा के प्रकरण में फरार मुल्जिम को पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा सरहद डाबलीसरा चवा में स्थित रहवासी मकान पर गिरफतार करने हेतु दबिश दी गई। उक्त कार्यवाही के दौरान उक्त वांछित फरार अपराधी प्रभुराम को [illegible] किया गया। इसी दौरान उसके घर के पास के खेत [illegible] क के आसमानी रंग के ड्रम जिनमें डीजल जैसा पेट्रोलियम [illegible]दार्थ अवैध रूप से [illegible] किया हुआ पाया जाने पर इसे थाना परिसर सदर थाना बाड़मेर में रखवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त पैट्रोलियम पदार्थ के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। उक्त तहरीर पर कार्यवाही हेतु श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं प्रार्थी श्री सुरेश विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, श्री दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक वास्ते जांच पुलिस थाना सदर बाड़मेर मौके पर पहुॅचे। मौके पर पुलिस थाना सदर के माल शाखा प्रभारी श्री गौतम दास द्वारा पुलिस थाना सदर बाड़मेर परिसर में रखे आसमानी रंग के दस(10) ड्रम (क्षमता प्रत्येक 200 लीटर) पाए। उक्त ड्रमो के लगे ढक्कनों को खोलकर देखने/जॉचने पर ड्रमो में तरल पैट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। कुल आसमानी रंग के 10 ड्रमो में से भंडारित पैट्रोलियम पदार्थ को जॉचने/देखने पर 7 ड्रमो में डीजल जैसा मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ होना तथा 3 ड्रमो में मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ होना पाया। इस प्रकार कुल 10 ड्रमो में 10x200=2000 लीटर मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ होना पाया। मौके पर प्लास्टिक के 10 ड्रमो से नियमानुसार प्रयोगशाला जॉच हेतु नमूना सैंम्पल एवं कन्ट्रोल सैंम्पल लिये जाकर उक्त 10 प्लास्टिक ड्रमो मय (7 मिलावटी डीजल कुल 1400 लीटर) एवं 03 ड्रमो में मिलावटी पैट्रोलियम कुल 600 लीटर को अभिरक्षा में लेकर जब्त किया गया तथा 07 ड्रमो में से मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ मिलावटी नमूना सैंपल लेने के पश्चात कुल 1397 लीटर एवं 03 ड्रमो में पैट्रोलियम पदार्थ मिलावटी पैट्रोलियम नमूना सैंपल लेने के बाद कुल 597 लीटर मय प्लास्टिक ड्रमो को पुलिस थाना सदर के माल खाना प्रभारी श्री गोतमदास, हेड कॉनिस्टेबल को मौके पर ही सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किया। अप्रार्थी प्रभुराम पुत्र श्री रूपाराम जाट निवासी डाबलीसरा, चवा बाड़मेर द्वारा अनाधिकृत रूप से मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डार करने पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आ[illegible] 20[illegible] का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत [illegible] अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी प्रभुराम के [illegible]द्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1994 लीटर मय 10 प्लास्टिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ड्रमो को राजसात करवाते हुए अंतरिम नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम प्रभुराम पुत्र श्री रूपाराम जाट निवासी डाबलीसरा, चवा बाड़मेर द्वारा अवैध रूप से मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डार करने पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1994 लीटर मय 10 प्लास्टिक ड्रमो को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 1994 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टिक ड्रमो को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 1994 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टिक ड्रमो का सार्वजनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

28-08-24

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested